(14)

बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना संख्या-एल0जी0-06-05/2018................. दिनांक-................. 2018,

प्रस्तावना।- चूँकि माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा के मामलों में पीड़ितों को प्रतिकर देने हेतु राज्यों को निदेश दिया गया है जिसका अनुपालन आवश्यक एवं समीचीन है।

इसलिए, अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या-2,1974) की धारा-357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा के मामलों में पीड़ितों को प्रतिकर देने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाती है:-

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।- (1) यह स्कीम अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. उक्त स्कीम, 2018 का कार्यान्वयन ।- बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 (समय समय पर यथा संशोधित) के संबंधित प्रावधानो के अनुसार इस स्कीम का भी कार्यन्वयन किया जायेगा।

3. इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की संगणना करते समय सरकार शारीरिक उपहत्ति, मनोवैज्ञानिक उपहत्ति की प्रकृति तथा नियोजन एवं शिक्षा के अवसरो की हानि तथा वैध एवं चिकित्सा .खर्चो पर उपगत व्यय सहित उपार्जन की हानि का सम्यक ध्यान रखेगी।

4. अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या/हिंसा की घटना के तीस दिनों की कालावधि के भीतर पीड़ितों के अथवा मृतक के निकट संबंधी को अंतरिम राहत दी जायेगी।

5. अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा के मामलो के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में एक त्वरित न्यायालय अभिहित किया जाएगा जो प्रतिदिन मामलों का विचारण कर संज्ञान लेने की तिथि से छह माह के भीतर विचारण को समाप्त करेगा।

6. पीड़ितों अथवा मृतक के निकट संबंधियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मुफ्त विधिक सहायता की जायेगी। पीड़ितों तथा मृतक के निकट संबंधियों को अंतरिम सहायता तथा प्रतिकर की राशि का भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

7. उक्त स्कीम, 2018 के अधीन प्रतिकर की राशि निम्नलिखित अनुसूची:-। के अनुसार होगी।

अनुसूची-1

क्र0 सं0	दुर्घटना/पीड़ित का वर्णन	**अतंरिम राशि** (घटना के एक माह के भीतर उक्त राशि का भुगतान किया जायेगा जिसका समायोजन अंतिम प्रतिकर राशि में किया जायेगा)	न्यूनतम मुआवजा की राशि	अधिकतम मुआवजा की राशि
1.	अवैध प्राणदंड एवं भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा	1 लाख रूपया	-----	3 लाख रूपया
2.	घोर उपहत्ति (भा0द0वि0 की धारा 320 में वर्णित)	1 लाख रूपया	-----	2 लाख रूपया
3.	उपहत्ति और मनोवैज्ञानिक उपहत्ति	10 हजार रूपया	-----	25 हजार रूपया या वास्तविक एवं वैध व्यय जा भी अधिक हो।

(3)

4.	भीड़ के दौरान आग द्वारा गंभीर उपहत्ति होने पर	1 लाख रूपया	-----	2 लाख रूपया
5.	उपहत्ति द्वारा यदि पीड़ित उपार्जन में अक्षम हो गया हो या नियोजन के अयोग्य हो अथवा शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हो जाए।	1 लाख रूपया	-----	2 लाख रूपया

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/9/18

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

17/09/18

(12)

बिहार सरकार

विधि विभाग

।। अधिसूचना ।।

अधिसूचना संख्या-एल0जी0-06-05/2018............... दिनांक-.................. 2018, का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/7

(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।

Government of Bihar

Law Department

Notification

Preamble.- Whereas the direction has been given by the Hon'ble Supreme Court to the States to make the compensation scheme for the victims of lynching and mob violence compliance which is necessary and expedient.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 357A of The Code of Criminal Procedure, 1973, the Government makes the following scheme for giving compensation to the victims of lynching and Mob Violence:-.

1. Short title, extent and commencement.- (1) This scheme may be called The Bihar Lynching and Mob Violence Victim Compensation Scheme, 2018.
   (2) It shall extend to the whole state of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.

2. Implementation of this Scheme,2018.- Implementation of this scheme shall be made according to the related provisions of the Bihar Victim Compensation Scheme, 2014(as amended from time to time).

3. Under this scheme for computation of compensation, the governments will have regard to the nature of bodily injury, psychological injury and loss of earnings including loss of opportunities of employment and education and expenses incurred on account of legal and medical expenses.

4. Interim relief will be paid to the victim (s) or to the next of kin of the deceased within a period of thirty days of the incident of lynching and mob violence.

5. In each district for speedy disposal of the cases of lynching and mob violence, a Speedy Trial Court will be designated which will conclude the trial after day to day trial basis of the cases within six months from the date of taking cognizance.

6. Free legal aid will be given to the victims or the next kin to deceased by the District Legal Services Authority. Interim relief and payment of amount of the compensation will be made by the District Legal Services Authority to the victim(s) and next kin of the deceased.

7. The amount of compensation under this scheme, 2018 shall be as per the following "schedule 1".-

SCHEDULE-1

Sl No.	Description of Injuries/Victims	**Interim amount of compensation** (payment of amount shall be made within a month of occurrence adjustment of which shall made in the amount of final compensation)	Minimum Amount of Compensation	Maximum Amount of Compensation
1.	Death(lynching or mob violence)	01 Lakhs Rupees	------	03 Lakhs Rupees
2.	Grievous injury (described under section 320 of I.P.C.)	01 Lakhs Rupees	------	02 Lakhs Rupees
3.	Injury and psychological injury	10 thousand Rupess	-------	25 thousand Rupess or actual and legal expense
4.	During Mob violence grievous injury by fire	01 Lakhs Rupees	------	02 Lakhs Rupees
5.	If the victim has become incompetent by the injury for earning or has become disqualified for an employment or has been restrained from obtaining education.	01 Lakhs Rupees	------	02 Lakhs Rupees

By the order of the Governor of Bihar

17/9

(Akhilesh Kumar Jain)
Secretary, Law Department, Bihar, Patna.

पांक-एल0जी0-06-05/2018/7722/जे0, पटना, दिनांक- 17/09/18

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-एल0जी0-06-05/2018/7722/जे0, पटना, दिनांक- 17/09/18

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 600 (छह सौ) मुद्रित प्रतियाँ विधि विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-एल0जी0-06-05/2018/7722/जे0, पटना, दिनांक- 17/09/18

प्रतिलिपिः- सभी प्रधान सचिव/सचिव,बिहार सरकार/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बिहार को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 13.09.2018 के मद संख्याः- 5 के आलोक में सुचनार्थ ।

17/9

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव।